निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 97/2025
दायरा दिनांकः— 31.10.2025
निर्णय दिनांकः— 17.12.2025

उनवान

1. मांगीलाल पुत्र चतुर्भुज जाति ब्राहम्ण
2. कृष्णगोपाल पुत्र चतुर्भुज जाति ब्राहम्ण निवासीगण निपानिया तहसील छबडा

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा, तहसील छबडा जिला बारां।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

निर्णय दिनांकः— 17.12.2025

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री विनोद कुमार भार्गव — प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136 एल. आर. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 431 रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा भूमि वाके ग्राम निपानिया में स्थित है। जिसका वर्तमान खसरा नंबर 1278/431 एवं रकबा 1.0622 हैक्टेयर है। उक्त भूमि के पूर्व दिशा में भूमि खसरा नंबर 432 स्थित है। उक्त दोनों भूमियों के बीच में जो की नक्शे में ए, बी, सी, डी एवं ई, एफ, जी, एच भाग से दर्शाया गया है, भूमि खसरा नंबर 1247/431 एवं भूमि खसरा नंबर 1250/432 स्थित थी। जिनकी राजकीय नक्शे में कोई तरमीम नहीं थी। परंतु मौके पर खसरा नंबर 1247/431 को ए, बी, सी, डी भाग एवं खसरा नंबर 1250/432 को ई, एफ, जी, एच मार्क से दर्शाए गए स्थान पर काबिज थे। उक्त भूमियात खाता संख्या 393 की खसरा नंबर 1247/431 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा भूमि एवं खसरा नंबर 1250/432 की 02 बीघा 15 बिस्वा भूमि रिज्यूम माफी पटेलाई चतुर्भुज पुत्र ब्रजलाल हिस्सा 1/2 एवं शिवचरण पुत्र रामचंद्र हिस्सा 1/4 एवं कमला प्रसाद, कृष्णगोपाल पुत्र प्रेमनारायण एवं रामनाथी बेवा प्रेमनारायण हिस्सा 1/4 के नाम दर्ज थी। उक्त भूमियात खाता संख्या 487 की खसरा नंबर 1247/431 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा भूमि एवं खसरा नंवर 1250/432 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा भूमि के बाबत् एक वाद सम्मानीय न्यायालय में चला था। जिसकी डिक्री दिनांक 10.05.2002 के मुताबिक नामान्तरण संख्या 1156 दिनांक 30.09.2005 से उक्त भूमि के खसरा नंबर 1247/431 की रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज हो गई। भूमि प्रार्थीगण के खाते दर्ज होने के बाद उक्त भूमि की नक्शे में जो तरमीम की गई है, उसमें 1250/432 की तरमीम तो सही जगह की गई। परंतु खसरा नं. 1247/431 की तरमीम मौके पर काबिज स्थान

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

नहीं की जाकर भूमि खसरा नंवर 431 के पश्चिम दिशा में कर दी गई है, जवकि इसकी तरमीम भूमि खसरा नंवर 431 वर्तमान खसरा नंवर 1278/431 के पूर्व दिशा में होना चाहिए था। उक्त गलती तरमीम के समय रेवेन्यू कर्मचारियों की गलती से हुई है। जिसे शुद्ध कराया जाकर उचित स्थान पर कराया जाना आवश्यक है। भूमि खसरा नंवर 431 वर्तमान भूमि खसरा नंवर 1278/431 भी प्रार्थी कम 2 के खाते व कब्जे काश्त में स्थित है एवं भूमि खसरा नंवर 1247/431 प्रार्थीगण कम 1 व 2 के खाते दर्ज है, इसलिए उक्त शुद्धि से किसी अन्य पक्षकार को कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। छवड़ा से कुंभराज, जो मुख्य रोड़ निकला है, वह भी प्रार्थी क्रम 1 के खाते व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंवर 431 में से निकला है, जिसके पश्चात प्रार्थी की भूमि का खसरा नंवर 431/1 दर्ज हुआ एवं रोड़ पी०डब्ल्यू०डी० के खाते खसरा नंवर 431 दर्ज हुआ, इससे भी स्पष्ट है कि भूमि खसरा नंवर 431/1 पूर्व का नंवर 431 वर्तमान नंवर 1278/431 भूमि खसरा नंवर 1247/431 के पश्चिम में स्थित थी। भूमि खसरा नंवर 1247/431 भूमि खसरा नंवर 1250/432 के पास खसरा नं. 432 एवं 431 के मध्य स्थित थी। अतः निवेदन है कि भूमि खसरा नंवर 431 रोड़ निकलने के वाद 431/1 वर्तमान भूमि खसरा नंवर 1278/431 रकवा 1.0622 हैक्टेयर भूमि को छवड़ा कुंभराज रोड़ के पूर्व दिशा में एवं भूमि खसरा नंवर 1247/431 को 1278/431 के पूर्व में 1250/432 के पास तरमीम कराया जाकर तरमीम में हुई गलती को शुद्ध कराए जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलव किया गया। अप्रार्थी की और से रिपोर्ट/जवाव प्राप्त हुआ। प्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमावन्दी ग्राम निपानिया तहसील छवडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 487, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम निपानिया, नकल नक्शा ट्रेस खसरा नं. 1247/431, नकल जमावंदी ग्राम निपानिया सम्वत 2074–77 खाता सं. 287, नक्शा ट्रेस खसरा नं. 1278/431, नकल जमावंदी ग्राम निपानिया सम्वत 2070–73 खाता सं. 292, नकल आदेश दिनांक 10.05.2005 मुकदमा नं. 9/02 दावा उनवान चतुर्भुज वनाम कमला प्रसाद, नकल डिक्री दिनांक 10.05.2005 मु.न. 9/02 दावा उनवान चतुर्भुज वनाम कमलाप्रसाद, नकल नामा. नं. 1156 ग्राम निपानिया दिनांक 30.09.2005 पेश किया गया।

वहस अभिभापक प्रार्थी सुनी गई। वहस के दौरान अभिभापक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम निपानिया तह. छवडा मे स्थित है। प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नं. 431 रकवा 8.08 वीघा का वर्तमान खसरा नं. 1278 रकवा 1.0622 हैक्टयर है। उक्त भूमि के पूर्व दिशा मे भूमि खसरा नं. 432 स्थित है। खसरा नं. 1247/431 एवं भूमि खसरा नं. 1250/432 की राजकीय नक्शे में कोई तरमीम नही थी। परन्तु मौके पर खसरा नं. 1247/431 को ABCD एवं खसरा नं. 1250/432 को EFGH मार्क से दर्शाए गये स्थान पर काविज है। भूमियात ख.नं. 1247/431 रकवा 1.18 वीघा एवं खसरा नं. 1250/432 रकवा 2.12 वीघा का वाद माननीय न्यायालय मे चला था। जिसकी डिक्री दिनांक 10.05.2002 को पारित की गई। उक्त डिक्री की पालना मे नामा. नं. 1156 दिनांक 30.09.2005 से भूमि खसरा नं. 1247/431 रकवा 1.18 वीघा भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज हुई। प्रार्थी के खाते की उक्त भूमि की नक्शे मे जो तरमीम की गई है, उसमें 1250/432 की तरमीम सही जगह की गई है परन्तु 1247/431 की तरमीम मौके पर काविज स्थान पर नही की जाकर भूमि खसरा नं. 431 के पश्चिम दिशा मे कर दी गई। जवकि तरमीम भूमि खसरा नं. 431 वर्तमान खसरा नं. 1278/431 के पूर्व दिशा मे होना

उपखण्ड अधिकारी
छवड़ा (वारां)

हिये था। भूमि खसरा नं. 431 वर्तमान भूमि खसरा नं. 1278/431 प्रार्थी क्रम 2 के खाते मे कब्ज काश्त मे स्थित है एवं भूमि खसरा नं. 1247/431 प्रार्थीगण क्रम 1 व 2 के खाते दर्ज है। उक्त शुद्धि से किसी अन्य पक्षकार को कोई नुकसान होने की संभावना नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम निपानिया के खसरा नं. 431 रकबा 8 बीघा बिस्वा भूमि दर्ज थी जिसके वर्तमान मे चार खसरा नं. 1278/431, 1279/431, 1280/431 एवं 431 बने है। जिनकी सेग्रीगेशन के दौरान तरमीम की गई है। खसरा नं. 1247/431 एवं 1278/431 के खातेदार एक ही है। जो अपनी भूमि की तरमीम दुरस्थ करवाना चाहते है। चूंकि पूर्व मे खसरा नं. 1247/431 एवं 1250/432 एक ही खातेदार की भूमिया थी जो आपस मे एक दूसरे के लगवा थी। जिसमे से खसरा नं0 1247/431 जर्ये डिक्री प्रार्थीगण को प्राप्त हुआ एवं 1250/432 कमला प्रसाद वगै. को प्राप्त हुआ। प्रार्थीगण के प्रस्ताव अनुसार तरमीम करने मे पक्षकार एक ही होने से किसी को कोई आपत्ति नही है।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया सम्वत 2074–77 खाता सं. 487 मे माफी पटेलाई कृष्णगोपाल, मांगीलाल पुत्र चतुर्भुज हिस्सा 1/2–1/2 दर्ज है। नकल जमाबंदी ग्राम निपानिया सम्वत 2074–77 खाता सं. 287 मे कृष्णगोपाल पुत्र चतुर्भुज बतोर खातेदार दर्ज है। नकल जमबांदी ग्राम निपानिया सम्वत 2070–73 खाता सं. 292 मांगीलाल, कृष्णगोपाल पुत्र चतुर्भुज का नाम बतौर सहखातेदार दर्ज है। खसरा नं. 1247/431 के खातेदार प्रार्थीगण है। प्रार्थीगण को खसरा नं. 1247/431 की भूमि खसरा नं. 1250/432 के पास तरमीम करने में कोई आपत्ति नही है। दोनो प्रार्थीगण सहमत है। तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व मे खसरा नं. 1247/431 एवं 1250/432 एक ही खातेदार की भूमिया थी। जो आपस मे एक–दूसरे के लगवा थी। जिसमे से खसरा नं. 1247/431 जर्ये डिक्री प्रार्थीगण को प्राप्त हुआ एवं 1250/432 कमला प्रसाद वगै. को प्राप्त हुआ। प्रार्थीगण के खसरा नं. 1247/431 की तरमीम दुरूस्ती करने मे किसी अन्य खातेदार का हित प्रभावित नही हो रहा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम निपानिया तहसील छबडा के खसरा नं. 431 रोड निकलने के बाद 431/1 वर्तमान खसरा नं. 1278/431 रकबा 1.0622 हैक्टयर भूमि को छबडा–कुंभराज रोड के पूर्व दिशा मे एवं भूमि खसरा नं. 1247/431 को खसरा नं. 1278/431 के पूर्व मे खसरा नं. 1250/432 के पास तरमीम दुरस्त करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जाते है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा